क्रमांक 62/10/2020–6जी0एस01

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव।
2. हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष तथा अम्बाला, करनाल, हिसार, गुडगांव, फरीदाबाद तथा रोहतक मंडल के आयुक्त तथा सभी जिलों के उपायुक्त।
3. रजिस्ट्रार, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़।

दिनांक, चंडीगढ 24 फरवरी, 2020

विषयः– **अधिसूचनाओं, विधायी नियमों इत्यादि को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करवाने बारे।**

महोदय/महोदया,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए सूचित करूं कि हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969, दिनांक 5.3.1969 द्वारा हिन्दी को हरियाणा राज्य की प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है। हरियाणा राज्य में हिन्दी भाषा की शिथिलता को लागू करते हुए समय–2 पर राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में हिन्दी भाषा में कामकाज करने की हिदायतें जारी की गई हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन भी हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना अनिवार्य है।

2. परन्तु सरकार के ध्यान में लाया गया है कि सभी विभाग अधिकतर अधिसूचनाओं, वैधानिक नियमों आदि का राजपत्र में प्रकाशन केवल अंग्रेजी भाषा में ही करवाते हैं तथा हिन्दी भाषा को कम महत्व दिया जाता है जो राजभाषा अधिनियम 1963 तथा 1969 के प्रावधानों की अवहेलना है।

3. सरकार ने मामले में गम्भीरता से संज्ञान लिया है तथा सख्त निर्देश दिये जाते हैं कि सभी विभाग अपने अधिसूचना, वैधानिक नियम आदि का राजपत्र में प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं मे करवाएं। राजपत्र में प्रकाशन के लिए अधिसूचना का प्रारूप केवल एक भाषा में स्वीकार नही किया जाएगा। इसी प्रकार विभाग जब भी किसी अधिसूचना, नियम आदि को विधि एवं विधायी विभाग को पुर्ननिरीक्षण (वैट) के लिए भिजवाएं तो हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनो प्रारूप भिजवाएं अन्यथा यह स्वीकार्य नही होगा।

3. इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए।

अधीक्षक, सामान्य सेवायें–1 शाखा,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति विधि परामर्शी एंव प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि एवं विधायी विभाग को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि विभागों से पुर्ननिरीक्षण व राजपत्र प्रकाशन हेतु प्राप्त होने वाले अधिसूचना, विधायी कानून इत्यादि के प्रारूप हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में ही स्वीकार किया जाए। यदि केवल एक भाषा में हो तो स्वीकार न किया जाए।

अधीक्षक, सामान्य सेवायें–1 शाखा,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

विधि परामर्शी एंव प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि एवं विधायी विभाग।

अशा.क्रमांक 62/10/2020–6जी0एस01 — दिनांक, चंडीगढ 24 फरवरी, 2020
पृ0क्रमांकः 62/10/2020–6जी0एस01 — दिनांक, चंडीगढ़ 24 फरवरी, 2020

एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन विभाग को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि भविष्य में सभी अधिसूचनाओ, विधायी कानूनों इत्यादि का राजपत्र में प्रकाशन हिन्दी एतवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में ही किया जाए। केवल एक भाषा में प्राप्त होने वाली अधिसूचना, विधायी कानून का स्वच्छः प्रारूप राजपत्र में प्रकाशन हेतु स्वीकार न किया जाए।

अधीक्षक, सामान्य सेवायें–1 शाखा,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।